

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 25]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 20 जून 2014—ज्येष्ठ 30, शक 1936

भाग ४

विषय-सूची

- | | | |
|----------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| (क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, | (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, | (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक. |
| (ख) (1) अध्यादेश, | (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, | (3) संसद के अधिनियम. |
| (ग) (1) प्रारूप नियम, | (2) अन्तिम नियम. | |

भाग ४ (क)—कुछ नहीं

भाग ४ (ख)—कुछ नहीं

भाग ४ (ग)

अन्तिम नियम

श्रम विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 7 जून 2014

क्र. 814-1691-2013-ए-सोलह.—मध्यप्रदेश औद्योगिक नियोजन (स्थायी आज़ाएं) अधिनियम, 1961 (क्रमांक 26 वर्ष 1961) की धारा 2 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा, अधिसूचित करता है कि यह अधिनियम किसी उपक्रम के ऐसे कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा जिन पर निम्नलिखित नियम या विनियम लागू होते हैं:—

(1) मध्यप्रदेश दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी (सेवा की शर्तें नियम, 2013).

No. 814-1691-2013-A-XVI.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 2 of the Madhya Pradesh Industrial Employment (Standing Orders) Act, 1961 (No. 26 of 1961), the State Government, hereby notifies that the said Act shall not apply to such employees in any undertaking to whom the following rules or regulation apply:—

(1) Madhya Pradesh Daily Wages Employees (Conditions of Service) Rules, 2013.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार
श्रीनिवास शर्मा, उपसचिव.